राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुरेश परनामी बनाम भौरी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	198/2016	
30/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 03/11/2025 को पेश हो।	
03/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 06/11/2025 को पेश हो।	
06/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वारा 2016 कोर्ट कैम्प मानसर खेडी में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 08/07/2016 पारित करते हुये रेस्पो. संख्या 1/वादीनी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी को ग्राम मानसर खेडी खसरा नम्बर 57 के पूर्वी हिस्से में स्थित रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा आराजी से दखलअन्दाजी से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस एवं अधिवक्ता रेस्पो. की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा जाहिर की गयी आपत्ति न्यायोचित्त प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 20/05/2016 को आगामी पेशी दिनांक 28/07/2016 नियत की गयी थी, परन्तु अपीलार्थी को नोटिस/सूचना दिये बगैर ही पत्रावली को पूर्व नियत दिनांक 28/07/2016 के स्थान पर दिनांक 08/07/2016 को न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प मानसर खेडी में नियत कर वादिया/रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है एवं ऐसे में अपीलार्थी का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह जाना स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के सन्दर्भ में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुरेश परनामी बनाम भौरी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य जाहिर होते है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/07/2016 विधिसम्मत जाहिर नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर